

## न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-79/2022  
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत  
किसमतिया देवी—विक्रेता  
प्रति

श्री राजीव रंजन दास—क्रेता

## --आदेश--

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका/विक्रेता किसमतिया देवी, पति-बिहारी राम, ग्राम-टण्डवा, पोस्ट-गढ़वा, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री राजीव रंजन दास, पिता-श्री अनिरुद्ध दास, ग्राम-चेचरिया, पोस्ट-नगर उंटारी, थाना-नगर उंटारी, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, गढ़वा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुज्ञा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक 321/दिनांक 07.10.2022 के द्वारा अंचल अधिकारी, गढ़वा का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आक्षेपक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के स्वयं के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के चमार (अनूसुचित जाति) एवं क्रेता जाति के दबगर (अनूसुचित जाति) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदिका/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में है। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन/अनुज्ञा के आलोक में आवेदिका/विक्रेता किसमतिया देवी, पति-बिहारी राम, ग्राम-टण्डवा, पोस्ट-गढ़वा, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा ने क्रेता श्री राजीव रंजन दास, पिता-श्री अनिरुद्ध दास, ग्राम-चेचरिया, पोस्ट-नगर उंटारी, थाना-नगर उंटारी, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

## भूमि का विवरण:-

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
टण्डवा	388	12	1483	0.05 $\frac{5}{8}$	उ०-विक्रेता द्वारा छोड़ा गया 5 फीट चौड़ा रास्ता, द०-डोमन राम वगैरह, पू०-नीज विक्रेता, प०-सुमन देवी, पति मनोज शर्मा,
कुल रकबा:-				0.05 $\frac{5}{8}$	

आदेश की प्रति आक्षेपक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्ता,  
गढ़वा

अपर समाहर्ता,  
गढ़वा